सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A3-55(3)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून** दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या मान्यता / सम्बद्धता / 2018 / 465 दिनांक 18.12.2018 एवं पत्र संख्या के0यू0 / मान्यता / 646 दिनांक 18.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, काशीपुर, उधमसिंहनगर** को **बी0सी0ए0** पाठ्यक्रम में **सत्र 2011–12 से सत्र 2019–20** तक की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– सत्र 2018–19 से पूर्व सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता पर मा0 कुलाधिपति जी के अनुमोदनोपरान्त इस सचिवालय के पत्र संख्या 296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 द्वारा सैद्धान्तिक सहमति छात्रहित में एक बार समाधान के आधार पर इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा चुकी है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या / संस्तुति के आधार पर, परिलक्षित त्रुटियों / विसंगतियों का निराकरण कराते हुये विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3– शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त संस्थान को **बी0सी0ए0** पाठ्यक्रम में **120 सीटों** के साथ सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति / पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या / संस्तुति के दृष्टिगत, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अन्य आवश्यक मानक पूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

4– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2361 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A3-55(3) /2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक / प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।